<u>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकांत वैष्णव, आर.एच.जे.एस.

मूल दीवानी वाद संख्या : 15/2018

वीरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

<u>विवाद्यक</u> दिनांक : 17.11.2021

1. आया वादी द्वारा संविदा दिनांक 19.03.2014 की शर्तानुसार दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2016 तक एवं संविदा दिनांक 30.03.2016 की शर्तानुसार दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक तहसील नाथद्वारा क्षेत्र की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज लाईम स्टोन व चिप्स तथा मार्बल खण्डा अधिशुल्क वसूल किया जाकर सम्पूर्ण संविदा राशि एवं पूरक संविदा दिनांक 03.12.2014 के तहत सम्पूर्ण अधिशुल्क ठेका राशि प्रतिवादी के कार्यालय में नियत अवधि में जमा करा दी गई ?

—वादी

2. आया प्रतिवादी द्वारा दिनांक 05.07.2018 को वादी को जारी किया गया नोटिस वादी के मुकाबले अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है ?

—वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी नोटिस दिनांक 05.07.2018 की आड में वादी की प्रतिवादी के यहां जमा प्रतिभूति राशि व जमानत राशि के भुगतान को नहीं रोके, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करे तथा भविष्य में जारी की जाने वाली संविदा में भाग लेने से वंचित नहीं करे ? ——वादीगण

4. आया वादी द्वारा धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी को दो माह का सूचना पत्र प्रेषित नहीं किये जाने से वाद निरस्त योग्य है ? ——प्रतिवादीगण

5. आया वाद वादी पूर्ण न्यायशुल्क अदा नहीं किये जाने से निरस्त योग्य है ?

——प्रतिवादीगण

6. आया इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं होने से वाद निरस्त योग्य है ? ——प्रतिवादीगण

7. अनुतोष ?

उभयपक्ष को विवाद्यक सुनाये गये तो किसी भी पक्ष ने कोई अन्य विवाद्यक नहीं सुझाया ।

अपर जिला न्यायाधीश,
नाथद्वारा